पक्षकारों एवं अ. आदि के हस्ता.

192

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निग-2092 I-16

हरिओम गुप्ता तनय स्व. जुगलकिशोर गुप्ता
निवासी मकान न. 260 भगवानगंज वार्ड
जिला सागर .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/1/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सागर से अनुमति प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/10/1997 के माध्यम से क्रय कर मालकाना हक व हिस्सा प्राप्त किया था। तथा आवेदक द्वारा तहसीलदार सागर के समक्ष उक्त भूमि पर नामांतरण किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर को दिनांक 31/8/15 को प्रेषित किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा बिना किसी वैधानिक अधिकार के आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2092 /16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-6-16	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र शर्मा उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12/1/16 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अतंर्गत प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 2– आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्को पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्ध जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/10/1997 के माध्यम से कलेक्टर सागर से अनुमति प्राप्त कर क्रय की गयी थी जिसके नामांतरण हेतु उनके द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको तहसीलदार सागर द्वारा दिनांक 31/8/15 को अनुविभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया। तथा अनु0वि0अधि0 सागर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया कि आवेदक के विक्रय पत्र का पंजीयन की कार्यवाही स्पष्ट नहीं है। जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 4– आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सागर से अनुमति प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/10/1997 के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि क्रय की गयी थी। आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/10/1997 का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि विक्रय पत्र का पंजीयन पुस्तक क्रमांक डी 11 अन्य क्रमांक 4677	

निग॰ 2092 5/11 (आगर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ. आदि के हस्ता
	में पृष्ठ 51 54 पर क्रमांक 2228 पर किया गया है। गुणदोषों पर आदेश करना चाहिए था। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सागर का आदेश दिनांक 12/1/16 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सागर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह प्रकरण का गुण दोषों पर निराकरण करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।	
	सदस्य	